



2026:AHC:17920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 380 वर्ष 2026

सारिका राज

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अभिषेक मिश्रा, प्रखर पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: अनादि कृष्ण नारायण, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को वापस लेने की मांग की है, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 4 द्वारा जारी दिनांक 13.09.2025 के आक्षेपित आदेश/ईमेल को रद्द करने की चुनौती दी गई है, और उन्हें नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत रूप से गठित नहीं की गई है।
2. प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।
4. यदि रिट याचिका दायर की जाती है तो उसकी एक प्रति प्रतिपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश मिश्रा को भेजी जाएगी।

27 जनवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।